प्रारूप – 11

कार्यालय नगर पालिका देवली, जिला – टोंक (राज.)

क्रमांक न.पा.दे./13/

दिनांक –

आदेश

मामला सं. और वर्ष

1. श्री देव नारायण ग्राम विकास संस्थान, टोंक
   कुंचलवाड़ा कंला , हनुमान नगर, तह. जहाजपुर (भीलवाड़ा)

आवेदक .....

विषय :– राजस्थान भू– राजस्व अधिनियिम 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रायोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञान प्रदान करने।

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है –

1. ऊपर नामित आवेदन ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन निम्नलिखित भूमि का संस्थागत प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है –

जिला सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षैत्र
तह. जहाजपुर जिला भीलवाड़ा	हनुमान नगर	1852/906 1846/906	0.1619 0.1619
		योग	2 बीघा में से 2 बीघा भूमि

2. ओवदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति , राजस्व खसरा अनुरेख,सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की –मैप अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसगंत दस्तावेज प्रस्तुत किये है।
3. यह कि मैने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजो/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर –कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिवधृति अधिकार निर्यापित करके भूमि का संस्थागत प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि खसरा सं. 1852/906, 1846/906 माप 2 बीघा में से 2 बीघा (हैक्टर/बीघा) की ग्राम हनुमान नगर तहसील जहाजपुर में स्थित भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का संस्थागत प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को , उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप–विधि के अनुसार आंवटन के लिए स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

प्रमाणित फोटो प्रति

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका देवली

5. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात् स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक आवंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर –कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।
6. इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तो की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।
7. उक्त खसरा नम्बरान का भू–परिवर्तन राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्णित निर्णय के अधिन रहेगा।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक ..... को पारित किया।

प्राधिकृत अधिकारी
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका देवली

सं. 576-578

दिनांक : 09.12.2013

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी –

1. सचिव/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, स्थानीय प्राधिकरण अधिषाशी अधिकारी, नगरपालिका देवली।
2. तहसीलदार , जहाजपुर जिला भीलवाड़ा को पूर्वोक्त भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
3. श्री देव नारायण ग्राम विकास संस्थान, टोंक

प्राधिकृत अधिकारी
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका देवली

प्रमाणित फोटो प्रति
09.12.13
अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका देवली